



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-59 / 2022

दर्ज तिथि:-15.07.2022

1. हीरालाल पुत्र लिखमाराम
जाति जटिया निवासी खरड़ तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. लालचंद पुत्र लिखमाराम
2. उदाराम पुत्र लिखमाराम
3. गोमती पत्नी उदाराम
4. नेमीचंद पुत्र लिखमाराम
5. शिवकुमार पुत्र लिखमाराम
जाति जटिया निवासी खरड़ तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी: श्री हापूराम


प्रतिवादीगण:-श्री ओमप्रकाश विश्नोई
श्री मांगीलाल जयपाल


राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-पर्चा डिक्री:-


दावा वादी अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 491/2/0.8903 है0 वाके ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।




सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना



खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	वरंग
गोमती पत्नी उदाराम कौम जटिया सा.देह	पूर्ण	491/2	0.0452	बा.दो.	आसमानी
		1	0.0452	बा.दो.	
हिरालाल पुत्र लिखमाराम कौम जटिया सा.देह	पूर्ण	491/2	0.01191	बा.दो.	वैंगनी
		491/2	0.02174	बा.दो.	
		491/2	0.003755	बा.दो.	
		3	0.0712	बा.दो.	
लालचंद पुत्र लिखमाराम कौम जटिया सा.देह	पूर्ण	491/2	0.06196	बा.दो.	पीला
		491/2	0.05434	बा.दो.	
		2	0.1163	बा.दो.	
उदाराम पुत्र लिखमाराम कौम जटिया सा.देह.	पूर्ण	491/2	0.01191	बा.दो.	हरा
		491/2	0.01087	बा.दो.	
		491/2	0.02174	बा.दो.	
		491/2	0.02174	बा.दो.	
		491/2	0.10194	बा.दो.	
शिवकुमार पुत्र लिखमाराम कौम जटिया सा.देह.	पूर्ण	491/2	0.01191	बा.दो.	भूरा
		491/2	0.04349	बा.दो.	
		491/2	0.04757	बा.दो.	
		491/2	0.04757	बा.दो.	
		491/2	0.01766	बा.दो.	
नेमीचन्द पुत्र लिखमाराम कौम जटिया सा.देह.	पूर्ण	491/2	0.01191	बा.दो.	जामुनी
		491/2	0.02174	बा.दो.	
		491/2	0.02174	बा.दो.	
		491/2	0.03322	बा.दो.	
		491/2	0.03259	बा.दो.	
		491/2	0.02100	बा.दो.	
रास्ते हेतु संयुक्त खातेदार		491/2	0.1790	बा.दो.	लाल
		1	0.1790	बा.दो.	



उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

यह डिक्री आज दिनांक 17.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर पूर्व मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
धौरीमन्ना-बाड़मेर